कार्यालय मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग,
इलाहाबाद

पत्रांक :- 5772 /29याता(फते0)-इ0क्षे0/18 दिनांक :- 18 / 8 /2018

सेवा में,

जिलाधिकारी,
फतेहपुर।

विषय :- उप महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, कानपुर के पत्र संख्या–रिटेल/इंजीनियरिंग/एसकेएस/415 दिनांक 28.12.2017/दिनांक 10.01.2018 द्वारा गाटा संख्या–1502 ग्राम–असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील– फतेहपुर सदर व जिला फतेहपुर में जोनिहा मार्ग (ओ0डी0आर0) पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, फतेहपुर (आयुध अनुभाग) का पत्रांक मेमो/20विविध/आयुध दिनांक 12.01.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित उप महाप्रबन्धक, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि0, कानपुर के पत्र संख्या–रिटेल/इंजीनियरिंग/एसकेएस/415 दिनांक 28.12.2017/दिनांक 10.01.2018 द्वारा गाटा संख्या–1502 ग्राम–असवार तारापुर, परगना–फतेहपुर, तहसील– फतेहपुर सदर व जिला फतेहपुर में जोनिहा मार्ग (ओ0डी0आर0) पर नये रिटेल आउटलेट की स्थापना हेतु अधिशासी अभियन्ता/अधीक्षण अभियन्ता की आख्या के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है।

1. उ0प्र0 रोड साइड भूमि नियंत्रण अधिनियम 1945 की धारा–6 के अन्तर्गत अन्य जिला मार्गों पर नगर सीमा के बाहर कृषि भूमि पर, मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 (60 फिट) से कम दूरी पर प्रस्तावित कार्य की बाउण्ड्रीवाल का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
2. संलग्न मानचित्र के अनुसार मार्ग के मध्य बिन्दु से 18.30 मी0 (60 फिट) की दूरी पर एक तरफ की भूमि पर किसी प्रकार का स्थायी/अस्थायी निर्माण न कराये जाने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र आउटलेट स्वामी से लेने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।
3. प्रस्तावित कार्यस्थल की भूमि का आउटलेट के स्वामी के नाम बतौर भूस्वामी दर्ज होने अथवा भूस्वामी द्वारा आउटलेट के स्वामी के नाम पंजीकृत लीज–डीड के निष्पादित किये जाने का सत्यापन (यदि नियमों में इसका प्राविधान हो) राजस्व विभाग द्वारा अवश्य करा लिया जाय। यदि उक्त आराजी आउटलेट के स्वामी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज न हो अथवा उसके नाम भूस्वामी द्वारा पंजीकृत लीज–डीड का निष्पादन न हो अथवा उक्त प्रस्तावित कार्यस्थल भूमि का मा0 न्यायालय में यदि कोई वाद/मुकदमा लम्बित हो, तो अनापत्ति प्रमाण पत्र न निर्गत किया जाय।
4. संलग्न मानचित्र एवं भविष्य को देखते हुए प्रथम फिलिंग प्वाइंट 27.80 मीटर एवं द्वितीय फिलिंग प्वाइंट 36.80 मीटर से कम दूरी पर न बनाया जाय।
5. मार्ग के जंक्शन बिन्दु पर जल निकासी हेतु मानचित्र के अनुसार 1.00 मीटर व्यास की ह्यूम पाइप (एन0पी0–3) पुलिया निर्माण के साथ दोनों तरफ पैरापिट एवं क्रास ड्रेनेज हेतु पक्की नाली का निर्माण आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वयं के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

27/08/2020
SIDDHARTH JAIN
CRM - Retail Region
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Kanpur Retail Regional Office

7. रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड/सूचना पट/काशन बोर्ड, अग्निशमन यन्त्र इत्यादि लगवाने की व्यवस्था आउटलेट के स्वामी द्वारा स्वंय के खर्चे पर अवश्य कराना सुनिश्चित किया जाय।

8. प्रस्तावित रिटेल आउटलेट की स्थापना के समय एवं स्थापना के पश्चात यातायात कदापि प्रभावित न किया जाय।

9. जल–मल निकासी मार्ग की तरफ न किया जाय तथा निर्माण सामग्री मार्ग के किनारे पटरी पर न रखा जाय।

10. प्रस्तावित कार्यस्थल का कुर्सी तल मार्ग की लेपित सतह से 30 सेंमी0 (1 फिट) नीचे रखी जाय।

11. निर्माण स्थल के सामने एवं मुख्य मार्ग के बीच में बची हुई लो0नि0वि0 की भूमि पर किसी कम्पनी का बोर्ड एवं लाइट आदि के पोल/खम्भे इत्यादि कदापि नहीं लगाये जायेंगे।

12. प्रस्तावित निर्माण कार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष समयावधि में, न होने पर आउटलेट स्वामी को पुनः अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेना होगा।

13. लो0नि0वि0 की सरकारी भूमि जो प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के पहुँच मार्ग के रुप में उपभोग होगी उसको सदैव सही दशा में प्रार्थी द्वारा रखने तथा इसका स्वामित्व सदैव उ0प्र0 सरकार (लोक निर्माण विभाग) का ही रखने से सम्बन्धित प्रतिशपथ पत्र भू–स्वामी/पेट्रोल पम्प मालिक से प्राप्त करने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाय।

14. प्रस्तावित निर्माण कार्य IRC : 12-2009 (Guidelines for Access, Location and Layout of Roadside Fuel Station and Sub Station) के प्राविधानों/विशिष्टियों के अनुसार ही कराया जाय। यदि IRC : 12-2009 में दिये गये विशिष्टियों/मानक के अनुरुप निर्माण कार्य नहीं किया जाता है, तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व आउटलेट स्वामी का होगा एवं निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त हो जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधीक्षण अभियन्ता द्वारा शा0सं0 RW/NH/19-DO-III दिनांक 24.07.2013 के प्रस्तर–5 जिसके अनुसार मार्ग की भूमि का प्रयोग करने के लिए मुबलिक रु0 2,00,000.00 (रु0 दो लाख) मात्र एक मुश्त लाइसेन्स के रुप में जमा करने तथा 5 प्रतिशत जो मुबलिक रु0 10,000.00 (रु0 दस हजार) मात्र है उसके स्थान पर श्रीमती अनुराधा देवी, पत्नी श्री विनोद कुमार, निवासिनी ग्राम–धरमपुर, मजरे व पोस्ट–असवार तारापुर, जनपद–फतेहपुर (उ0प्र0) के नाम शपथपत्र संलग्न है।
संलग्नक :– मानचित्र एक प्रति।

(हिमान्शु मित्तल)
मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद

पत्रांक :– /29याता(फते0)–इ0क्षे0/18 दिनांक :– / /2018

1. प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, प्रतापगढ़ वृत्त, लो0नि0वि0, प्रतापगढ़ को उनके पत्र संख्या 3493/1सी.–प्र0फ0वृ0/18 दिनांक 23.06.2018 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।

2. प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

27/08/2020
SIDDHARTH JAIN
CRM - Retail Region
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Kanpur Retail Regional Office

मुख्य अभियन्ता
इलाहाबाद क्षेत्र, लो0नि0वि0, इलाहाबाद

GATA NO	1502
VILLAGE	ASWAR TARAPUR
PARGANA	FATEHPUR
TEHSIL	FATEHPUR SADAR
NEAREST POLICE STN.	SAHILI
NEAREST RLY. STN.	FATEHPUR
DISTRICT	FATEHPUR
PIN CODE	212664
STATE	UTTAR PRADESH
LATITUDE	25.933606
LONGITUDE	80.648089

GROUND FLOOR (4.23X 8.27M)

TYPE	SIZE (in Mtrs.)
SALES ROOM	3.98X1.95
ELEC. ROOM	2.70X1.70
LUBE STORE	3.23X1.70
CHANGE ROOM	1.65X1.70
LADIES TOILET	1.65X1.95
GENTS TOILET	1.95X1.95

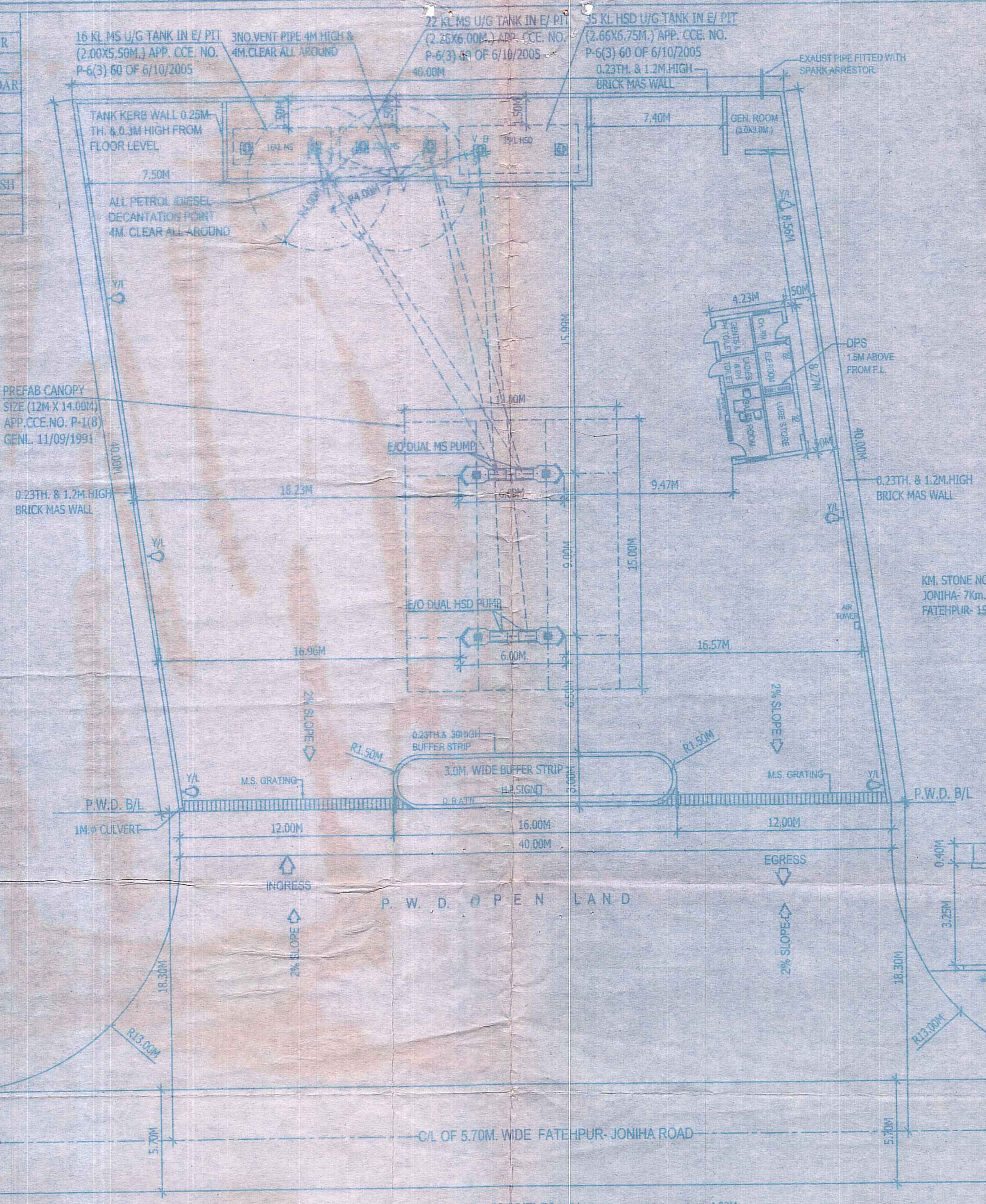

LAY OUT PLAN
(SCALE- 1:200)

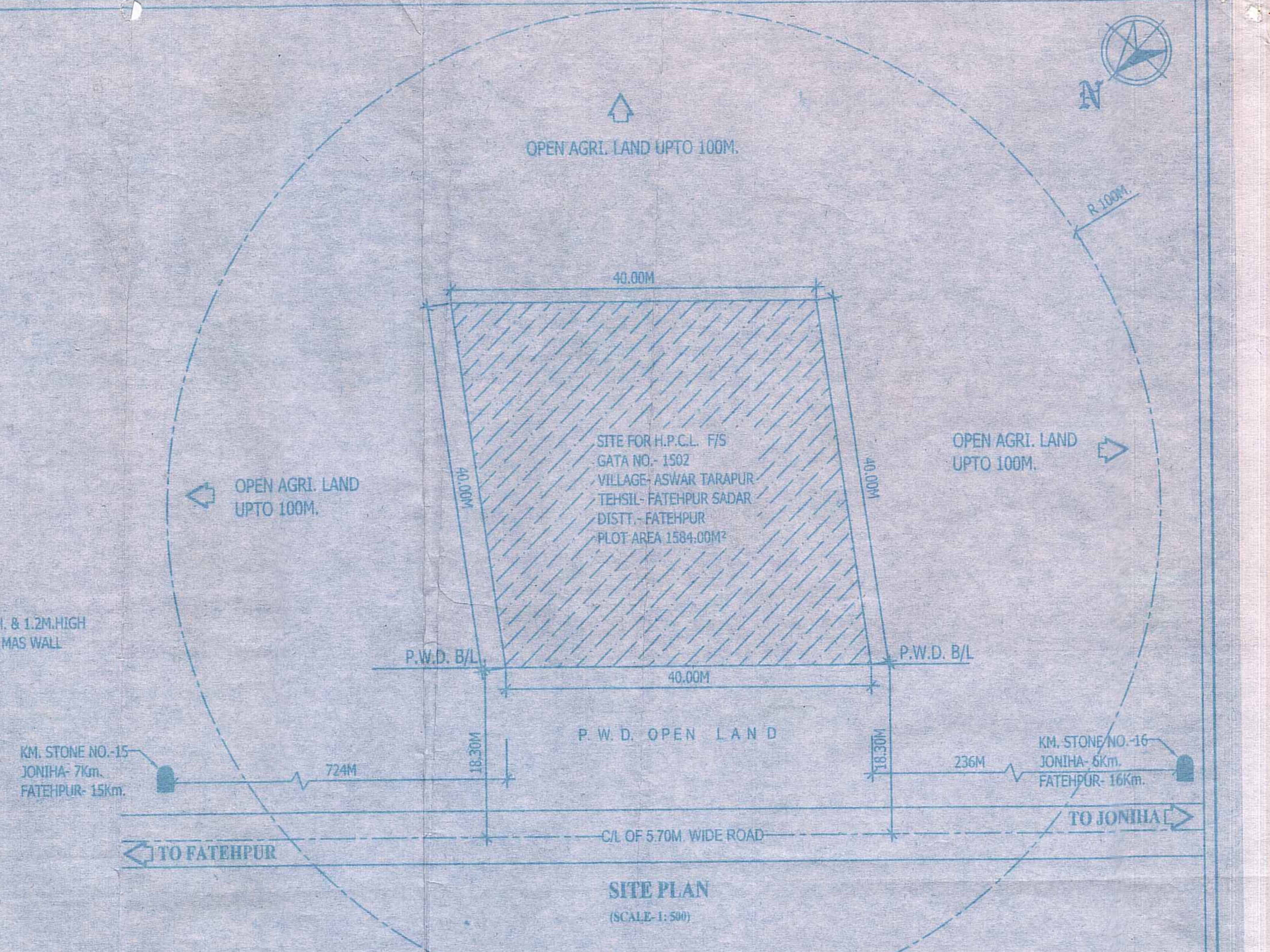

SITE PLAN
(SCALE-1:500)

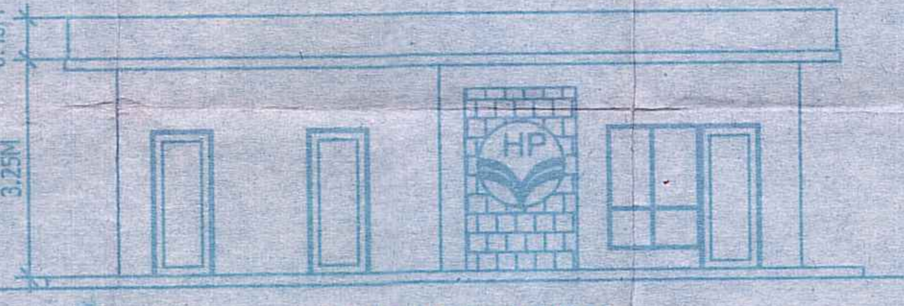

FRONT ELEVATION
SCALE = 1:100

NOTE-1

1. NO OTHER STRUCTURE ERECTED NOR ANY OTHER SERVICE RENDERED EXCEPT THAT CONNECTED WITH PETROL PUMP WITHOUT PRIOR APPROVAL OF P.W.D.
2. THE BERM PORTION IS NOT INCLUDED IN THE AREA TO LEASED FROM P.W.D.FOR APPROACH ROAD BUT TO BE MEDALLED BY THE COMPANY.
3. SUCTION PIPE UNDER DRIVE WAY TO BE HOUSE IN PIPE SLEEVE FILLED WITH SAND.
4. BOTH THE TANK ARE NOT TO BE REPLENISHED AT THE SANE TIME.
5. 37MM AIR VENT PIPE 4.0M HIGH FROM G.L. ON ITS ENDS TWO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM IS TO BE PROVIDED.
6. ALL ELECTRICAL FITTING CONFORM TO I.S.: 2148.FOR DISPENSING UNITS.
7. TANKS TO BE FED BY TANK LORRY ONLY.
8. D.P.S.BOARD 1.5M FROM G.L.& NOT BE KEPT UNDER LOCK & KEY.
9. NO SMOKING SIGN IS TO BE DISPLAYED PROMINENTLY.
10. ALL STRUCTURE ON GOVT.LAND SHALL BE TEMPORARY.
11. ALL DIMENSIONS ARE IN METER UNLESS STATED OTHER WISE.
12. 4 NOS FIRE-EXTINGUISHERS DRY-CHEMICAL TYPE ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
13. 8 NOS FIRE-BUCKET FILLED WITH SAND ARE PROVIDED IN LICENCED PREMISES.
14. FILL POINTS 4.0M CLEAR ALL AROUND.
15. VENT PIPE SHALL BE 4.0M HIGH & 4.0M CLEAR ALL AROUND.
16. VEVT HOOD FITTED WITH TO LAYERS OF NON-CORRODIBLE METAL WIRE GAUGE OF 11 MESH PER LINEAR CM.
17. APPROACHES SHOULD HAVE MIN. PAVEMENT COMPOSITION OF 150MM GSB WBM GR OF 75MM BM EACH,50MM BM AND 25MM SDC.
18. NO CASE AGAINST THE LAND IS PENDING IN ANY COURT.
19. THE TANK ARE FABRICATED AS PER IS: 10987 OF 1992 (RE- AFFIRMED IN 1998).
20. NO HIGH TENSION LINE IS PASSING THROUGH THE PREMISES.
21. TANKS KERB WALL 0.25M.THICK & 0.30M. HIGH FROM FLOOR LEVEL PROVIDED TO THE EARTH BURIED.
22. FLAMMABLE FLEX BOARD HOARDING SHOULD NOT BE USED.

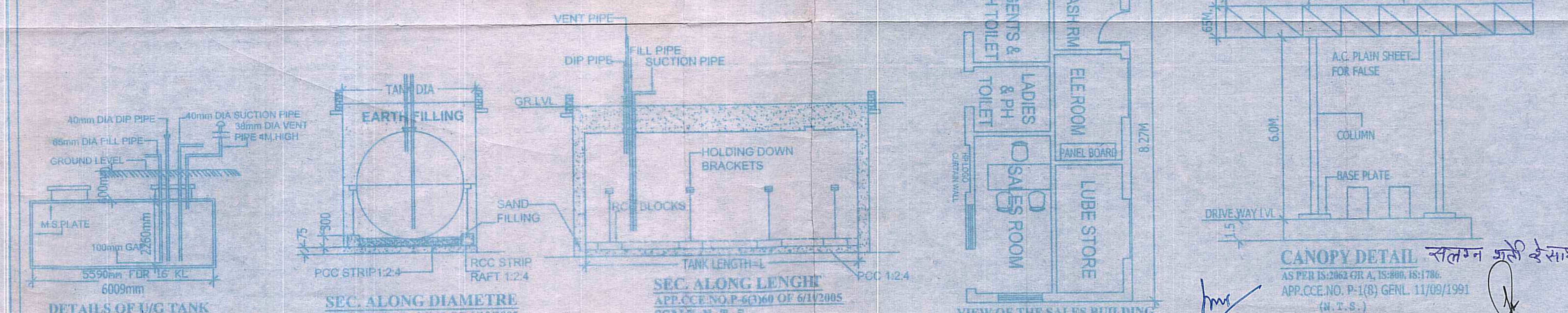

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
फतेहपुर

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०
फतेहपुर

HINDUSTAN PETROLEUM CORPORATION LTD.

Ground Floor, 88-A, Gowardhan Purwa, Saket Nagar, Hamirpur Road, Kanpur-208014

PROPOSED LAY-OUT PLAN OF FILLING STATION AT GATA NO.- 1502, VILLAGE- ASWAR TARAPUR, PARGANA- FATEHPUR, TEHSIL- FATEHPUR SADAR ON FATEHPUR- JONIHA ROAD DISTT. - FATEHPUR U.P.

सत्यापित

SCALE: AS SHOWN | CHECKED/ APPROVED BY:- | DRG.NO. HPC/KNP/2017-18/071 | L.NO. A/P/CC/UP/14

DRAWN BY:

Design Consultants
INDIRA NAGAR, LUCKNOW

AWADHESH KUMAR PANDEY
Deputy General Manager-Retail Region
Hindustan Petroleum Corporation Ltd.
Kanpur Retail Regional Office

DATE: 19/12/2017

प्रभारी अधिकारी भूमि
कृते जिला मजिस्ट्रेट
फतेहपुर
08/1/2018